

प्रेषकः

निहालुद्दीन खाँ
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- (1)–निदेशक,
साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (3)–निदेशक,
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण
उ0प्र0, लखनऊ।
- (5) निदेशक,
एस0सी0ई0आर0टी0
उत्तर प्रदेश लखनऊ

- (2)–निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान,
उ0प्र0, लखनऊ।
- (4)–निदेशक,
बेसिक शिक्षा
उ0प्र0, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-14

लखनऊ: दिनांक 12 दिसम्बर, 2013

विषयः—राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के सम्बन्ध में
दिशा-निर्देश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

—0—

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन के पत्र
संख्या-6069/60-1-13-1/13(92)/06 दिनांक 29 नवम्बर, 2013 की छायाप्रति संलग्न
कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र में दिये गये निर्देशों का
अपने स्तर से कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

APD (D)
आमाउ

Sh A-Gaww
APD
13/12/13

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
149
(निहालुद्दीन खाँ)
उप सचिव।

संख्या— (1) / 79-14-2013 तददिनांक

उपरोक्त पत्र की प्रतिलिपि अनुभाग अधिकारी शिक्षा अनुभाग-1,2,5,6,11 व 13 को
सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(निहालुद्दीन खाँ)
उप सचिव।

16/12/13

उत्तर प्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास अनुभाग-१
संख्या-६०६९/६०-१-१३-१/१३(९२)/०६
लखनऊ: दिनांक २९ नवम्बर, २०१३

अधिसूचना

Se - 1

बच्चे देश का भविष्य हैं। बच्चों का सर्वार्गीण विकास एक सार्वभौमिक आवश्यकता है। भारतीय संविधान ने बच्चों को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान किये हैं, जैसे न्याय के समक्ष समानता, ०६ से १४ वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा, बलात् श्रम से रोकना, १४ वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों तथा खतरनाक प्रकृति के उद्योगों में नियुक्त न करना। प्रत्येक राज्य सरकारें बच्चों के विकास के लिए इस प्रकार की नीतियां बनाये जिससे उनके बचपन का दुरुपयोग न हो सके। इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में दी गई है। भारत सरकार/राज्य सरकार बच्चों के सर्वार्गीण विकास के लिए कृत संकल्प है, ताकि उनके संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकार सुरक्षित रहें। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम २००५ पारित किया गया है।

२११२-
१८५(V)(नीतीश्वर कुमार)
जनकी १३

वैसिक शिक्षा विभाग

उ० प्र० शासन
५३५४

२— श्री राज्यपाल राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, २००५ की धारा-१७(१) की व्यवस्थानुसार प्रदेश में निम्नानुसार “राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग” का गठन करते हैं:-

१८-१११२।१३ की साप्तिव्र (१) आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति

मराठ्य नीति विभाग में फलान्ति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा आयोग की जायेगी। आयोग में ०१ अध्यक्ष एवं ०६ सदस्य होंगे, जिसमें कम से कम ०२ महिलाएं होंगी। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य का होना आवश्यक है :-

- (१) अनुभाग-१४ (६ व्यक्ति) (क) शिक्षा,
फाइल में इसे प्राप्ति अनुसूचित (ख) बाल स्वास्थ्य, देखभाल, कल्याण अथवा बाल विकास,
- (२) राजते द्वारा इसका विवरण (ग) बाल न्याय अथवा उपेक्षित बच्चों अथवा विकलांग बच्चों की देखभाल,
- (३) अनुभाग-१५ (५ व्यक्ति) (घ) बाल श्रम उन्मूलन अथवा विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले बच्चे,
- (४) अनुभाग-१६ (५ व्यक्ति) (ङ) बाल मनोवैज्ञानिक अथवा समाजशास्त्री,
- (५) अनुभाग-१७ (५ व्यक्ति) (ज) बाल विधि से सम्बन्धित, १०.१४
- (६) अनुभाग-१८ (५ व्यक्ति) (क) बीवाल (जमलकों भेजा) ३००१.१३

२१।११।१३

१०.१२.१३ प्राप्ति १०.११.१३
११.१२.१३ दोषेन्द्रिय १०.१२.१३

(2) अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल

- (क) आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष तक होगा।
- (ख) आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को दो कार्यकाल से अधिक नियुक्त नहीं किया जायेगा।
- (ग) आयोग के अध्यक्ष 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक ही कार्य करेंगे।
- (घ) आयोग के सदस्य 60 वर्ष की आयु पूरी करने तक ही कार्य करेंगे।
- (ङ) आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को त्यागपत्र देकर पद का त्याग कर सकते हैं।

(3) आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन एवं भत्ते

- (क) आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन एवं देय भत्तों तथा सेवाओं की अन्य शर्तें वह होंगी, जैसे राज्य सरकार द्वारा विहित की जायेंगी।
- (ख) आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के बाद उनके वेतन एवं भत्तों तथा सेवा शर्तों में किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा।

(4) आयोग का सचिव

राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा आयोग के सचिव की नियुक्ति करेगी, जो शासन के सचिव के समान वेतनमान का होगा।

(5) आयोग के अन्य अधिकारी एवं स्टाफ

- (क) आयोग के कार्यों के निष्पादन हेतु विभिन्न अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे, जो परिशिष्ट "क" में दर्शाये गये हैं।
- (ख) आयोग के सचिव एवं अन्य कार्मिकों के वेतन एवं देय भत्तों तथा सेवाओं की अन्य शर्तें वह होंगी जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जायेगा।

(6) आयोग के कार्य

- (i) आयोग द्वारा बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु कानूनी उपायों की समीक्षा करना तथा प्रभावी कियान्वयन हेतु अनुशंसा करना।
- (ii) समय-समय पर केन्द्र सरकार को बाल अधिकार के संरक्षण सम्बन्धी उपायों पर प्रगति आख्या भेजना।
- (iii) बाल अधिकारों के हनन की जाँच करना तथा मामलों में कार्यवाही की अनुशंसा करना।
- (iv) बाल्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारण जैसे, आतंकवाद, साम्प्रदायिक हिंसा, दंगे, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, एड्स, बाल व्यापार, दुर्व्यवहार, प्रताङ्गना तथा शोषण, पोनोग्राफी तथा वैश्यावृत्ति आदि मामलों का परीक्षण कर निदान हेतु उपायोग की अनुशंसा करना।
- (v) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से सम्बन्धित मामलों में संरक्षण के साथ ही अवसाद ग्रस्त बच्चे, उपेक्षित एवं शोषित बच्चों, वादग्रस्त बच्चे, बाल अपराधी, परिवार विहीन बच्चे एवं कैदियों के बच्चों के लिए उचित चिकित्सा सम्बन्धी एवं अन्य उपायों की अनुशंसा करना।
- (vi) विभिन्न सम्बन्धियों एवं अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों का अध्ययन करना एवं समय-समय पर वर्तमान नीतियों की समीक्षा करना, विभिन्न कार्यक्रमों एवं बाल अधिकारों से सम्बन्धित गतिविधियों की समीक्षा करना तथा बाल हित में उनके प्रभावी कियान्वयन हेतु अनुशंसा करना।
- (vii) बाल अधिकारों के क्षेत्र में शोध कार्यों को प्रोत्साहन करना।
- (viii) बाल अधिकारों से सम्बन्धित वर्तमान रक्षा उपायों का प्रकाशन, मीडिया गोष्ठी एवं अन्य उपलब्ध माध्यमों से जागरूकता का प्रसार करना।
- (ix) केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी द्वारा संचालित अथवा किसी स्वयंसेवी संस्था द्वारा संचालित बाल सम्रेक्षण गृहों, बाल सुधार गृहों एवं बच्चों से सम्बन्धित अन्य संस्थानों, जहाँ पर बच्चों को इलाज, सुधार एवं संरक्षण हेतु रखा गया है, का निरीक्षण करना।
- (x) ऐसे मामलों में शिकायतों की जाँच करना और नोटिस जारी करना जहाँ—
- (a) बाल अधिकारों का हनन अथवा उल्लंघन हो।
- (b) बच्चों के विकास एवं संरक्षण हेतु निर्मित विधियों का कियान्वयन न होना।
- (c) बच्चों के कठोर शारीरिक दण्डों के निवारण के लिए बनायी गयी नीति निर्देशिका अथवा निर्देश जिनका उद्देश्य बच्चों का कल्याण एवं लाभ पहुँचाना है, का भली भांति कियान्वयन न होना, ऐसे मामलों में सक्षम प्राधिकारी के साथ अर्थोपाय सुझाना।

(d) बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु आवश्यक अन्य कार्य एवं उपरोक्त से सम्बन्धित अन्य कार्य।

(xi) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 31 के अन्तर्गत बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी प्रदत्त अधिकारों का अनुश्रवण, बच्चों को प्रदत्त अधिकारों / रक्षान्वयों का परीक्षण / समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संस्तुतियां करना, बच्चों की निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से सम्बन्धित शिकायतों की पृच्छा एवं निराकरण करना।

3— राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग राज्य नियमावली को भी प्रख्यापित किया जाएगा। सकूल नियमावली में आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल, उनकी अहता आदि तथा सदस्यों की सुविधाओं, कार्यालय गठन आदि की प्रविधान किया जायेगा।


कामिनी चौहान रतन
सचिव,

संख्या—6069(1) / 60—1—13, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- (2) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उ0प्र0 शासन।
- (3) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- (4) समस्त, जिलाधिकारी, उ00प्र0।
- (5) निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
- (6) पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
- (7) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
- (8) उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी / जिला परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
- (9) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन, इजाहाजांद को इन आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण सरकारी गजट में प्रकाशित कराते हुए 500 प्रतियां इस अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- (10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(अमरेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।